




राजस्थान



यह स्टाम्प संपरिवर्तन आदेश रजिस्ट्रेशन के साथ संलग्न हैं।

आदेश क्रमांक:- रुपा0/राजस्व/17/27

क्रमांक /सम/1065-70

दिनांक 28/03/2017

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार) श्रीमाधोपुर

श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर सीकर राजस्थान

..... संपरिवर्तन आदेश

जारीकर्ता

बहक

श्रीमान ओमप्रकाश पुत्र श्री पांचूराम जाति बलाई निवासी पीथलपुर ग्राम पंचायत पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

..... संपरिवर्तन

आदेश प्राप्तकर्ता

ओमप्रकाश वर्मा



उप पंजीयक
अजीतगढ़, जिला- सीकर

कृ.पू.उ.....2

क्र.स 113X/ दिनांक 21-4-08

मुद्रांक 100 वास्ते

नाम

पिता/पति का नाम

निवास

श्री. पद्मराज बंसाल
श्री. पद्मराज

कालू राम जाट

स्टाम्प विक्रेता ला.नं.57/11

अजीतगढ़ तह. श्रीमधोपुर



तारीख 21-4-08



॥२॥

संपरिवर्तन राशि-

9,500/-रूपये जरिये चालान संख्या 581 दिनांक
23.03.2017 को जमा करवाया गया।

भूमि विवरण

राजस्व ग्राम अजीतगढ के खसरा नं. 1319/3
रकबा 0.10है0 खसरा नं. 1318/2 रकबा 0.
02है0खसरा नं. 1321 रकबा 0.04है0खसरा नं.
1324 रकबा 0.03है0 कुल किता 4 रकबा 0.19है0
मे से 1900 वर्गमीटर का आवासीय प्रयोजन हेतु
संपरिवर्तन आदेश का रजिस्ट्रेशन ।

मुद्रांक शूल्क

100/1 = 100/-

दिनांक

ओमप्रकाशवर्मा



कृ.पू.उ.....3
उप पंजीयक
अजीतगढ, जिला- सीकर

आज दिनांक 24 माह April सन् 2017 को 09:15 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री OMPRAKSH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PANCHURAM
उम्र 0 वर्ष, जाति BALAI व्यवसाय _____
निवासी PITHALPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2017001117)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, AJITGARH

(Order of conversion of Land (Under LR Rule 2007))

श्रीमपुकारक

रसीद नं० 2017000681 दिनांक 24/04/2017
पंजीयन शुल्क रू० 180/-
प्रतिलिपि शुल्क रू० 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/-
अन्य शुल्क रू० 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू० 230/-
सरचार्ज 80/-
कुल योग रू० 690/-

(2017001117)

उप पंजीयक, AJITGARH

(Order of conversion of Land (Under LR Rule 2007))

आज दिनांक 24/04/2017 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 33
में पृष्ठ संख्या 113 क्रम संख्या 2017000715 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 75
के पृष्ठ संख्या 51 से 55 पर
चस्पा किया गया।

(2017001117)

उप पंजीयक, AJITGARH

(Order of conversion of Land (Under LR Rule 2007))



ओमप्रकाशवर्मा



11311

साक्षी



[Handwritten signature]



1. विजेन्द्र यादव उम्र 40 वर्ष पुत्र गणपत राम
जाति अहीर निवासी माकडी
तहसील नीमका थाना जिला सीकर

[Handwritten signature]

2. सुभाष चन्द यादव उम्र 22 वर्ष पुत्र मूलचद
जाति अहीर निवासी दिवराला
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

[Handwritten signature]
उप पंजीयक
अजीतगढ़, जिला- सीकर

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
 1-OMPRAKSH /PANCHURAM
 Age:0, Caste-BALAI
 Ocu.-
 R/O-PITHALPUR

(And Claimant)
 1-TDR /NA
 Age:0, Caste-
 Ocu.-
 R/O-SHRIMADHOPUR

ने लेख्यपत्र Order of conversion of Land (Under LR Rule 2007)
 को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
 प्रतिफल राशी रू0 9500/- पूर्व में/मेरे
 समक्ष/मे से रू0 9500/-पूर्व में _____
 यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री VIJENDRA SINGH
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANPAT SINGH उम्र 44 वर्ष
 जाति AHIR व्यवसाय
 निवासी MAKDI

2. श्री/श्रीमती/सुश्री SUBHASH YADAV
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MULCHAND YADAV उम्र 22 वर्ष
 जाति AHIR व्यवसाय
 निवासी DIVRALA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अगुंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2017001117)

उप पंजीयक, AJITGARH
 (Order of conversion of Land (Under LR Rule 2007))



ओमप्रकाश वर्मा



सुश्री



13/1/17

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार, श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

क्रमांक/रूपा0/राजस्व/17/२३

संपरिवर्तन आदेश

दिनांक - 28.3.17

श्री ओमप्रकाश पुत्र पांचूराम जाति बलाई निवासी पीथलपुर द्वारा ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0) की सरहद में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1319/3 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1318/2 रकबा 0.02 है0, ख0न0 1321 रकबा 0.04 है0 तथा 1324 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 रकबा 0.19 है0 में सम्पूर्ण 1900 वर्ग मीटर का आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 व 2012 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है। :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री ओमप्रकाश पुत्र पांचूराम जाति बलाई निवासी पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	हां।
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा : (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम अजीतगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 1319/3 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1318/2 रकबा 0.02 है0, ख0न0 1321 रकबा 0.04 है0 तथा 1324 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 रकबा 0.19 है0 में सम्पूर्ण 1900 वर्ग मीटर का आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन
	टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय
5	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम।	राशि जमा जरिये चालान नम्बर 581 दिनांक 23.03.2017 रूपय 9,500/- अक्षरे नौ हजार पांच सौ रुपये मात्र/-
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
7	चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
8	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
9	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी।

उप पंजीयक
अजीतगढ़, जिला- सीकर

10

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगा :-

- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रिमियम धन समपहत हो जायेगा।
- (3) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क केच मध्य से दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी।
- (6) निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी।
- (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।
- (6) निकटस्थ ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी।
- (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।
- (8) आवेदक को रूपान्तरित भूमि पर स्थित शून्य पेडो में से शून्य पेड हटाने की अनुमति एक वर्ष में तीन गुणा छायादार/घने पेड लगाने की शर्त पर दी जाती है, अन्यथा हटाये गये प्रति पेड के बदले 500/-प्रतिवर्ष की दर से शास्ति राजकोष में जमा करानी होगी।
- (9) एच.टी.लाईन से प्रभावित भूमि का अकृषि उपयोग नहीं किया जा सकेगा।



क्रमांक/सम/1065-70

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सीकर।
2. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर।
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड
4. सरपंच ग्राम पंचायत अजीतगढ़।
5. पटवारी, पटवार हल्का अजीतगढ़।

6. श्री ओमप्रकाश पुत्र पांचूराम जाति बलाई निवासी पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

- 24 -
तहसीलदार
श्रीमाधोपुर
तहसीलदार, श्रीमाधोपुर

दिनांक :- 28.3.17

तहसीलदार, श्रीमाधोपुर